हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 जुलाई, 2003

संख्या का० आ० 93/ह० अ० 6/2003/धा० 59/2003.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 59 की उप धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियो का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० वैब 7/ह० अ० 6/2003/धा० 59/2003, दिनांक 23 जून, 2003, के प्रति निर्देश से उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची क, अनुसूची ख, अनुसूची ग, अनुसूची ङ और अनुसूची छ में, सिवाए जब से अन्यथा वर्णित किया जाए इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात् —

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) मे,—

1. **अनुसूची क मे,—**

(i) खाना 2 के नीचे, क्रम संख्या 3 तथा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

1	2	3
"3	विमानन टरबाइन ईन्धन, पैट्रोल तथा गैसोहोल प्रविष्टि 7 के अधीन रहते हुए ;	20%
4	तीव्र गति डीज़ल, सुपर लाईट डीज़ल ऑयल तथा लाईट डीज़ल ऑयल प्रविष्टि 7 के अधीन रहते हुए ;	12%

(ii) क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात् अन्त में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जायेगी, अर्थात् :—

1	2	3
"6	टायरस और ट्यूबस	8%
7	विमानन टरबाइन ईन्धन, पैट्रोल, गैसोहोल, तीव्रगति डीजल, सुपर लाईट डीजल ऑयल, लाईट डीज़ल ऑयल, मिट्टी का तेल, तरल पैट्रोलियम गैस, लो सलफर हैवी स्टॉक तथा फरनस ऑयल जब एक ऑयल कम्पनी द्वारा दूसरी ऑयल कम्पनी को पुन: बेचने के लिए बेचा जाए।	4%

व्याख्या :—इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए "ऑयल कम्पनी" से अभिप्राय है, मैसर्ज इन्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज इन्डो बर्मा पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और मैसर्ज रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ।" ;

2. अनुसूची ख में,—

(i) क्रम संख्या 56 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2
"56	बायोगैस प्लांट मे प्रयुक्त मशीनरी, बायो गैस बर्नर तथा बायोगैस हॉट प्लेटस " ;

(ii) क्रम संख्या 83 तथा उसके सामने प्रविष्टियो के पश्चात् अन्त मे निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां जोड़ दी जायेंगी, अर्थात् :—

1	2
"84	अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये वापसी समायोजन आदेश " ;

3. अनुसूची ग में,—

(i) क्रम संख्या 31 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा ;

(ii) क्रम संख्या 34 तथा उसके सामने प्रविष्टि का लोप कर दिया जायेगा तथा यह प्रविष्ट 26 जून, 2003 से लुप्त समझी जायेगी ;

(iii) क्रम संख्या 39 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात् अन्त में निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जायेगी, अर्थात् :—

"40 माल जिस पर अन्यथा लागू कर की दर 4 प्रतिशत से अधिक है जब कैन्टीन स्टोर डिपार्टमैंट को बेचा जाए जो आगे कैन्टीन स्टोर डिपार्टमैंट द्वारा सीधे अथवा प्राधिकृत कैन्टीन संविदाकारो द्वारा अथवा यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैन्टीनो द्वारा कार्यरत सैनिक कर्मियो और भूतपूर्वक सैनिको को बेचा जाए।

41 पौल्टरी फीड सप्लीमैन्टस तथा कैटल फीड सप्लीमैन्टस

42 प्लास्टिक का कच्चा माल जैसे कि :— पी0 वी0 सी0 मिश्रण और ग्रैन्यूल (एच0 डी0 पी0 ई0, एल0 डी0 पी0 ई0 और एल0 एल0 डी0 पी0 ई0) पी0 वी0 सी0 रैजिन तथा प्लास्टिक पोलिमरस, कच्ची रबड़, सिन्थैटिक रबड़, रबड़ के रसायन तथा कार्बन ब्लैक

(1) एच0 टी0 स्विचगियर एम0 ओ0 सी0 बी0 सहित (मिनिएचर ऑयल सर्किटब्रेकर), तेलिय सर्किट अवरोधक (ओ0सी0वी0), शून्य स्थान सर्किट अवरोधक (वी0सी0बी0), एस0एफ0 6, गैंग ओपरेटर (जी0ओ0) स्विच सम्मिलित हैं।

(2) एच0टी0 इन्सुलेटर

(3) एल0टी0 स्विचगियर एयर सरकट अवरोधक (ए0सी0बी0) सहित

(4) स्विचगियर कन्डक्टरस

(5) 25 हार्सपावर से अधिक तीन फेज मोटर के लिए रिले मोटर स्टारटर

(6) सिलैक्टर स्विचिस, लीड ब्रेक स्विच सहित

(7) कन्ट्रोल पैनल मोटर कन्ट्रोल सैन्टर (एम0सी0सी0) पैनल सहित

(8) बस डक्टस

(9) पी0डी0बी0 (पावर वितरण बोर्ड), एस0डी0बी0 (उप वितरण बोर्ड), एम0डी0बी0 (मुख्य वितरण बोर्ड)

(10) मीटरिंग पैनल

(11) शक्ति (एल0टी0) पांच किलोवाल्ट एमपीयर रिएक्टिव (के0वी0ए0आे0) से अधिक कपैसटर

(12) पावर फैक्टर करैक्शन रिलेस

(13) वेल्टमीटर, ऐम्पीयर मीटर, के0 डब्ल्यू0 मीटर, के0 डब्ल्यू0 एच0 मीटर तथा फ्रीकवैन्सी मीटर

(14) 25 हार्सपावर से अधिक की सभी प्रकार की मोटरें

(15) ट्रांसफार्मर जिसमें करंट ट्रांसफार्मर शामिल हैं किन्तु 5 के0वी0ए0 की क्षमता से अधिक के वोल्टेज स्टैबलाईज़र शामिल नहीं हैं।

(16) डी0एम0सी0 (डाओ मोलडिंग कम्पाउड), एस0एम0सी0 (शीट मोलडिंग कम्पाउड) इन्सुलेटरस

(17) केबल ज्वाइटिंग किट

(18) एम0सी0सी0बी0 (मोलडिड केस सर्किट ब्रेकर) एम0सी0बी0 (मीनिएचर सर्किट ब्रेकर) और 100 एम्पीयर या उससे अधिक की क्षमता का वितरण बोर्ड

44 बायो-खाद तथा जिप्सम ";

4. अनुसूची ङ में,—

(1) खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 1 और उसके सामने प्रविष्टियो के स्थान पर, निम्न क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"1	पैट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस	(i) जब ईन्धन के रूप में प्रत्युक्त हो
		(ii) जब राज्य से बाहर निर्यात किया जाए ";

(2) क्रम संख्या 5 मे, खाना 3 के नीचे, खण्ड (v) के बाद, अन्त में निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

1	2	3
		"(vi) जब कैन्टीन स्टोर डिपार्टमैन्ट द्वारा बेचा जाए ";

5. अनुसूची छ में, —

खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 1 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, अन्त मे निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जायेंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
"2(क)	1000 सी0सी0 ईन्जन क्षमता तक की पूर्व स्वामित्वाधीन कारे।	3000/-रुपये प्रति कार	इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए दायी किसी व्यवहारी द्वारा प्रथम विक्रय
(ख)	1000 सी0सी0 ईन्जन से अधिक क्षमता की पूर्व स्वामित्वाधीन कारे।	5000/-रुपये प्रति कार	इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए दायी किसी व्यवहारी द्वारा प्रथम विक्रय "।

चन्द्र सिंह,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 8th July, 2003

No. S.O. 93/H.A. 6/2003/S. 59/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and all other powers enabling him in this behalf, and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. S. O. web. 7/H.A. 6/2003/S. 2003, dated the 23rd June, 2003, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule A, Schedule B, Schedule C, Schedule E and Schedule G appended to the Act with effect from the date of publication of this notification, in the Official Gazette, except when mentioned otherwise, namely :—

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003),—

1. In Schedule A,—

(i) under column 2, for serial number 3 and 4, the following entries shall be substituted, namely : —

1	2	3
"3	Aviation Turbine Fuel, Petrol and Gasohol subject to entry 7 ;	20%
4	High Speed Diesel, Super Light Diesel Oil and Light Diesel Oil subject to entry 7 ;	12%

(ii) after serial numbers 5 and entries thereagainst, the following serial numbers, and entries thereagainst shall be added at the end, namely :—

1	2	3
"6	Tyres and Tubes	8%
7	Aviation Turbine Fuel, Petrol, Gasohol, High Speed Diesel, Light Diesel Oil, Super Light diesel Oil, Kerosene, Liquid Petroleum Gas, Low Sulphur Heavy Stock and Furnance Oil when sold by one oil Company to other oil company for resale.	4%

Explanation.—For the purpose of this entry "oil company means M/s Indian Oil Corporation Limited, M/s Bharat Petroleum Corporation Limited, M/s Industan Petroleum Corporation Limited, M/s Indo Burma Petroleum Corporation Limited and M/s Reliance Industries Limited.";

2. in Schedule B,—

(iii) for serial number 56 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely :—

1	2
"56	Machinery used in bio-gas plant, bio-gas burners and bio-gas hot plates";

(iv) after serial number 83 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added at the end, namely :—

1	2
"84	Refund adjustment order issued under the Act";

3. in Schedule C,—

(i) serial number 31 and entries thereagainst shall be omitted ;

(ii) serial number 34 and entries thereagainst shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from 26th June, 2003;

(iii) after serial number 39 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added at the end, namely :—

"40 Goods on which rate of tax otherwise applicable is more than 4% when sold to Canteen Stores Department for further sale to the serving military personnel and ex-servicemen by the Canteen Stores Department direct or through the authorised Canteen contractors or through unit run canteens.

41 Poultry feed supplements and cattle feed supplements.

42 Plastic raw materials, that is to say ,—PVC compound and granules (HDPE, LDPE and LLDPE), PVC resins and plastic polymers; raw rubber, synthetic rubber, rubber chemicals and carbon black.

43 (1) HT Switchgear including MOCB (Miniature Oil Circuit Breakers), VCB (Vaccum Circuit Breakers), SF 6, GO (Gang Operators) switch.

(2) HT Insulators.

(3) LT Switchgear including ACB (Air Circuit Breakers).

(4) Switchgear conductors.

(5) Relays Motor Starters for 3 phase motors above 25 H.P.

(6) Selector Switches including lead break switch.

(7) Control panel including MCC (Motor Control Centre) Panels.

(8) Bus ducts.

(9) PDB (Power Distribution Board), SDB (Sub-distribution Board), MDB (Main Distribution Board).

(10) Metering panel.

(11) Power (L.T.) Capacitors above 5KVAR (Kilo Volt Ampere Reactive).

(12) Power factor correction relays.

(13) Voltmeter, Ampere Meter, KW Meter, KWH Meter and frequency Meter.

(14) All types of motor above 25 H.P.

(15) Transformers including current transformer but not including voltage stabilizers of capacity above 5 KVA.

(16) DMC (Dough Moulding Compound), SMC (Sheet Moulding Compound) insulators.

(17) Cable jointing kit.

(18) MCCB (Moulded Case Circuit Breaker) including MCB (Miniature Circuit Breaker) and distribution Board of capacity of 100 Amperes or above.

44. Bio-fertilizer and Gypsum. ";

4. In Schedule E,—

(1) under columns 1, 2 and 3 for serial number 1, and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely :—

1	2	3
"1	Petroleum products and natural gas	(i) When used as fuel
		(ii) When exported out of State" ;

(2) in serial number 5, under column 3, after clause (v), the following clause shall be added at the end, namely :—

1	2	3
		"(vi) When sold by Canteen Store department";

5. in Schedule G,—

under columns 1, 2, 3 and 4, after serial number 1 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added at the end, namely :—

1	2	3	4
"2(a)	Pre-owned cars having engine capacity upto 1000 cc	Rs. 3000 per car	First sale by a dealer liable to pay tax under this Act.
(b)	Pre-owned cars having engine capacity above 1000cc	Rs. 5000 per car	First sale by a dealer liable to pay tax under this Act".

CHANDER SINGH,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.